न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 103/2023 तारीख दायर :—15.02.2023 दिनांक निर्णय :—22.02.2023

पटवारी हल्का नयागावबोलका तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान। UCMS No 2023/1

बनाम

मुकेश कुमार बैरवा पुत्र भौलाराम जाति बैरवा निवासी फिरोजपुर जागिर तहसील राजगढ़ जिला अलवर।

अन्तर्गत धारा 91, राजस्थान
भू0 राजस्व अधिनियम—1956

आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया, अप्रार्थी द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का नयागावबोलका द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। मुकेश कुमार बैरवा पुत्र भौलाराम जाति बैरवा निवासी फिरोजपुर जागिर तहसील राजगढ़ जिला अलवर बावजूद नोटिस के अनुपस्थित रहा जिससे अतिक्रमी की मंशा आराजी खसरा नम्बर 1294/1292 रकबा 0.5813 है0 भूमि पर अतिक्रमण कायम रखने की प्रतित होती है, चूँकी राजकीय भूमि पर गैरसायलान द्वारा अनाधिकृत रूप से सम्वत 2079 में कंटा बाड़ बनाकर कब्जा कर अतिक्रमण किया गया है। पटवारी हल्का नया गाव बोलका रिपोर्ट के अनुसार अतिक्रमी का अतिक्रमण सिद्ध होता है। अतिक्रमीयान काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि:—

अतिक्रमी श्री मुकेश कुमार बैरवा पुत्र भौलाराम जाति बैरवा निवासी फिरोजपुर जागिर तहसील राजगढ़ जिला अलवर वाके ग्राम डागरवाडा के आराजी ख0न0 आ0ख0न0 1294/1292 रकबा 0.5813 है0 किस्म बंजड़ राजकीय सिवायचक से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान 1.000 की 50 गुणा में मु0 50.00/—रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावें। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों/पटवारी हल्का नयागाव बोलका को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

आज दिनांक 22.02.2023 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

[signature]
नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

रा. ले. स. 4 वर्ष 2022-23
के पृष्ठ संख्या 03 [illegible] सि.जे. 50/–
राशि कायम किये गये।
[signature]
त. रा. लेखाकार